न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 07/2024

अपीलार्थी

रमेशकुमार पुत्र सवाराम जी, जाति–कुम्हार, निवासी–पाडीव, तहसील व जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, सिरोही, तहसील व जिला–सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 29 जनवरी, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 01/2023 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 23.01.2025 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री परमार ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पटवारी हल्का, पाडीव द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध ग्राम पाडीव, तहसील सिरोही के खसरा संख्या 1063 रकबा 0–0126 हेक्टेयर भूमि किस्म गै.मु.रास्ता भूमि पर पक्का निर्माण कर मकान बनाने का आरोप लगाते हुए धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही के समक्ष पेश की, जिस पर नायब तसीलदार, सिरोही ने प्रकरण संख्या 01/2023 दर्ज कर अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.12.2023 के द्वारा अपीलार्थी को उक्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पर्याप्त सुनवाई व सबुत पेश करने का कोई अवसर नही दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुने ही उक्त आदेश पारित किया है। यह कि अपीलार्थी उक्त खसरा संख्या 1063 किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि का अतिक्रमी नहीं है व न ही उसने रास्ते की भूमि पर कभी कोई अवैध कब्जा किया है, बल्कि हकीकत यह है कि ग्राम पाड़ीव के खसरा संख्या 3074/974 मी. रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि का उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही द्वारा श्री मोहनलाल पुत्र हरजा जी मेघवाल के पक्ष में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/भू.रू./ग्रामीण/98/71 दिनांक 11.03.1998 को जारी किया गया है तथा श्री मोहनलाल पुत्र हरजाजी मेघवाल ने उस पर आवासीय भूखण्ड़ काट कर लोगों को बेचान किए है, उक्त आवासीय भूमि में से भूखण्ड संख्या 01 कुल नाप 1980 वर्गफीट को अपीलार्थी ने अपनी पत्नि श्रीमति खेतुदेवी पत्नि रमेशकुमार प्रजापत के नाम से जरिये पंजीकृत विकय विलेख 31.7.2014 को खरीद किया था तथा उक्त भूखण्ड को खरीदने के बाद ग्राम पंचायत, पाडीव से दिनांक 03.11.2022 को नियमानुसार निर्माण स्वीकृत प्राप्त कर मौके पर मकान का

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

निर्माण करवाया है। इस प्रकार, उक्त भूमि रास्ते की भूमि नही है व न ही रास्ते की भूमि पर अपीलार्थी ने अतिक्रमण किया है। अपीलार्थी अपनी पत्नि के नाम से जरिये पंजीकृत दस्तावेज के खरीद की गई भूमि पर खरीद की तारीख से बतौर स्वामी काबिज है व नियमानुसार निर्माण कार्य करवाया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को गलत रूप से अतिकर्मी मानते हुए उक्त आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 01 / 2023 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि पटवारी हल्का, पाडीव द्वारा संवत 2080 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम पाडीव के खसरा संख्या 1063 रकबा 0—0126 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण मकान बनाकर अवैध कब्जा करने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही में प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर विधिवत कार्यवाही करते हुए व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच अपीलार्थी का विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाया जाने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि पटवारी हल्का, पाडीव द्वारा संवत **2080** में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम पाडीव के खसरा संख्या 1063 रकबा 0—0126 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण मकान बनाकर करने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की अपीलार्थी को तामिल होने के बाद भी अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब एवं बचाव में साक्ष्य—सबूत प्रस्तुत नही किये।

अपीलार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि "अपीलार्थी उक्त खसरा संख्या 1063 किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि का अतिक्रमी नहीं है व न ही उसने रास्ते की भूमि पर कभी कोई अवैध कब्जा किया है, बल्कि हकीकत यह है कि ग्राम पाड़ीव के खसरा संख्या 3074 / 974 मी. रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि का उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही द्वारा श्री मोहनलाल पुत्र हरजा जी मेघवाल के पक्ष में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांक / भू.रू. / ग्रामीण / 98 / 71 दिनांक 11.03.1998 को जारी किया गया है तथा श्री मोहनलाल पुत्र हरजाजी मेघवाल ने उस पर आवासीय भूखण्ड़ काट कर लोगों को बेचान किए है, उक्त आवासीय भूमि में से भूखण्ड संख्या 01 कुल नाप 1980 वर्गफीट को अपीलार्थी ने अपनी पत्नि श्रीमति खेतुदेवी पत्नि रमेशकुमार प्रजापत के नाम से जरिये पंजीकृत विकय विलेख 31.7.2014 को खरीद किया था तथा उक्त भूखण्ड को खरीदने के बाद ग्राम पंचायत, पाडीव से दिनांक 03.11.2022 को नियमानुसार निर्माण स्वीकृत प्राप्त कर मौके पर मकान का निर्माण करवाया है। इस प्रकार, उक्त भूमि रास्ते की भूमि नही है तथा अपीलार्थी अपनी पत्नि के नाम से जरिये पंजीकृत दस्तावेज के खरीद की गई भूमि पर खरीद की तारीख से बतौर स्वामी काबिज है व नियमानुसार निर्माण कार्य करवाया है।" जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम पाडीव के खसरा संख्या 1063 रकबा 0—0126 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया है, जो राजस्व रेकर्ड में राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है। इस प्रकार, यह

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम पाडीव के खसरा संख्या 1062 रकबा 0—0126 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही* सत्यमेव जयते